राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	नाम अधिवक्ता
1.	441/2017	जगदीश प्रसाद	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिदेशक, अजमेर रेंज, अजमेर। 3. पुलिस अधीक्षक, अजमेर, राजस्थान।	श्री कुणाल रावत
2.	632/2017	रमणलाल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिदेशक, उदयपुर रेंज, उदयपुर। 4. पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा, राजस्थान।	
3.	2179/2015	जसकरण सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिदेशक, बीकानेर रेंज, बीकानेर। 3. पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ, राजस्थान।	
4.	2805/2015	बाबू लाल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिदेशक, उदयपुर रेंज, उदयपुर। 3. पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द, राजस्थान।	
5.	2681/2016	विजेन्द्र सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज, जयपुर। 3. पुलिस अधीक्षक, अलवर।	अनुपस्थित
6.	2682/2016	ओम प्रकाश		
7.	2695/2016	शिव दयाल		

आदेश की दिनांक : 15.07.2024

उपस्थित :–

प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित तालिका में समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 441/2017 जगदीश प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।

2. अपीलार्थी की ओर से अपील संख्या 441/2017 में यह तथ्य अंकित किये गये है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कॉस्टेबल के पद पर पुलिस विभाग में दिनांक 01.02.1997 को हुई थी। अपीलार्थी की पदोन्नति हैड कॉस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध हुई थी। इस प्रकार अपीलार्थी की दिनांक 01.04.2012 से हैड कॉस्टेबल के पद पर नियुक्ति मानी जानी चाहिए थी। फलस्वरूप हैड कॉस्टेबल के पद पर अनुभव की गणना दिनांक 01.04.2012 से की जानी चाहिए। अपीलार्थी ने आगे यह तथ्य अंकित किये है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कॉस्टेबल के पद से सहायक निरीक्षक के पद पर योग्यात्मक परीक्षा आयोजित की जा रही है। परन्तु अपीलार्थी को उक्त परीक्षा में अनुभव के अभाव में पात्र नहीं होना माना जा रहा है और अपीलार्थी को परीक्षा में बैठने के अनुमति नहीं दी गयी। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को पदोन्नति हेतु आयोजित होने वाली योग्यात्मक परीक्षा में शामिल किया जाए एवं यदि अपीलार्थी वर्ष 2016–17 की योग्यात्मक परीक्षा में सहायक उप निरीक्षक पद के लिये चयन योग्य पाया जाता है तो अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।
3. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस अपील में पूर्व में इस अधिकरण ने अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 14.03.2017 पारित किया था, जिसमें यह आदेश दिया गया कि वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कॉस्टेबल के पद से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये आयोजित होने वाली पदोन्नति परीक्षा में इस अपील के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन अपीलार्थी को बैठने की अनुमति प्रदान करें एवं अपीलार्थी का परीक्षा परिणाम अधिकरण के आगामी आदेश तक शीलबन्द लिफाफे में रखा जाए।
4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी दिनांक 01.04.2016 को निर्धारित योग्यता/सेवा अवधि पूर्ण नहीं करने पर अपीलार्थी को जिला अजमेर की हैड कानि. से सहायक उपनिरीक्षक पद की योग्यात्मक परीक्षा ईयर 2016–17 में सम्मिलित नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन महानिदेशक, पुलिस राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 05.04.2017 के अनुसार अपीलार्थी को हैड.कानि.से सहायक उप निरीक्षक की योग्यात्मक परीक्षा में बैठने की स्वीकृति बाबत श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजमेर के आदेश दिनांक 05.05.2017 द्वारा अपीलार्थी को योग्यात्मक परीक्षा में ईयर 2016–17 में सम्मलित किये जाकर रोल न० आवंटित कर दिये

गये है, इसलिये अपील अपीलार्थी सारहीन होने से इनफक्चुअस हो गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी०बी० स्पेशल अपील संख्या 309/98 में श्री गोकुल सिंह बनाम राज्य सरकार एवं रिट याचिका संख्या 16083/2015 देवेन्द्र प्रसाद बनाम राज्य सरकार में निर्णय पारित कर अनुभव एवं पात्रता की गणना रिक्ति ईयर की प्रथम अप्रैल से किये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये है। आदेश दिनांक 05.04.2017 के अनुसार योग्यात्मक परीक्षा में कार्मिकों की योग्यता/पात्रता/ अनुभव की गणना रिक्ति ईयर के प्रथम अप्रैल से ही की जावेगी। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन व आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया ।

6. उल्लेखनीय है कि समान मामलों में इस अधिकरण द्वारा अपील संख्या 366/2017 सुवालाल चौधरी बनाम पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य एवं 101 अन्य अपीलों में समान आदेश दिनांक 07.02.2019 को पारित किया गया था, जिसमें निम्न प्रकार से निर्णय पारित किया गया :–

> ''6. सुनवाई की गत तिथि को जब हमने उक्त अपीलों पर अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता व विद्वान् अति. राजकीय अधिवक्ता से बहस सुनी तब दोराने बहस यह बताया गया कि अपीलार्थीगण को सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति पात्रता परीक्षा में अधिकरण के आदेश से सम्मिलित कर लिया गया है और बाद में प्रत्यर्थी विभाग के महानिदेशक द्वारा दिनांक 05.04.2017 को पत्र संख्या 1360 जारी किया गया. जिसमें यह अंकित किया गया है कि वर्ष 2016–17 हेतु मुख्य आरक्षी से सहायक उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद की योग्यात्मक परीक्षा में अनुभव की गणना के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या–309/1998 श्री गोकुल सिंह बनाम राजस्थान सरकार एवं रिट याचिका संख्या 16083/2015 देवेन्द्र प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय के अनुसार अनुभव एवं पात्रता की गणना रिक्तियों के वर्ष की प्रथम अप्रेल से किये जाने के सम्बन्ध मे निर्देश प्रदान किये गये हैं और राज्य सरकार ने उक्त निर्णयों के विरूद्ध कोई अपील नहीं किये जाने का निर्णय ले लिया है और उक्त निर्णयों की पालना की जा चुकी है। इसलिए आगामी योग्यात्मक परीक्षा में कार्मिकों की योग्यता/पात्रता/अनुभव की गणना रिक्ति वर्ष की प्रथम अप्रैल से की जावे। उक्त पत्र संख्या 1360 दिनांक 05.03.2017 (05.04.2017) को विद्धान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर अपीले निष्फल हो जाने से फैसल शुमार

किये जाने पर बल दिया, जबकि अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी कि जब अपीलार्थीगण को इस अधिकरण के आदेश से परीक्षा में प्रोविजनली बिठाया गया और उनका परिणाम सील बन्द है तो फिर अपीलों को निष्फल नहीं किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग के उक्त पत्र व उक्त निर्णयजन्य विधियों के पारेप्रेक्ष्य में यह आदेश पारित किया जावे कि विभाग अपीलार्थीगण के अनुभव को उनकी पत्रोन्नति जिस वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध हुई है उस वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारी से गणना करके उनकी पात्रता पर विचार करे और उनका परिणाम जो शील बन्द है उसको यदि अब तक जिन अपीलार्थियों के सम्बन्ध में नहीं खोला गया है तो खोला जाये और यदि वे पतोन्नति के लिये अन्यथा पात्र होना माने जाए तो उनको उक्त अनुभव के आधार पर दर–गुजर नहीं करे व उनकी नियमानुसार पदोन्नति करे।

7. हमने इस बहस पर चिन्तन मनन किया। उक्त निर्णयजन्य विधियों से व प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या 1360 दिनांक 05.03.2017 (05.04.2017) से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अनुभव की गणना रिक्तियों के वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख से गिनने बाबत सहमति व्यक्त कर दी है तो फिर अपीलार्थीगण जो कि अधिकरण के आदेश से वर्ष 2016–17 की सहायक उप निरीक्षक की रिक्तियों हेतु पदोन्नति पात्रता परीक्षा में प्रोविजनली सम्मिलित किये गये हैं और जिनके परिणाम को अधिकरण ने सील बन्द रखे जाने का आदेश दिया है, उस बाबत हम अपीलार्थीगण की उक्तांकित सभी अपीलों को आंशिक रूप से मंजूर की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देते हैं कि वे अपीलार्थीगण को उनकी मुख्य आरक्षी के पद पर जिस वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति की गयी हैं, उस वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख से उनके मुख्य आरक्षी के पद पर अनुभव की गणना करे तथा लिखित परीक्षा में यदि वे अन्यथा सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होना पाये जावे तो उनके सील बन्द लिफाफों को खोलकर विधि–अनुसार उनकी पदोन्नति पर यथाशीघ्र कार्यवाही करे। प्रत्यर्थीगण को आदेश की पालना के लिये तीन माह का समय प्रदान किया जाता है।

8. मूल आदेश अपील संख्या 366/2017 सुवालाल चौधरी में संलग्न किया जा और आदेश की सत्य फोटो प्रतियां उक्त सूची में वर्णित शेष समस्त अपीलों में संलग्न की जावे।

9. आदेश आज दिनांक 07.02.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एव हस्ताक्षरित कर उद्द्घोषित किया गया।''

7. अतः इस अधिकरण द्वारा पूर्व में निर्णित मामले में यह निर्णय पारित किया गया है कि जिस वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति दी गयी है, उस वर्ष की

अप्रैल की पहली तारीख से अनुभव की गणना की जाए। ऐसे में हम पाते है कि अपीलार्थी की निर्धारित योग्यता की गणना पदोन्नति के रिक्ति वर्ष की एक अप्रैल से किये जाने पर आगामी पदोन्नति के लिये वांछित अनुभव रखने की योग्यता पूरी करता है। ऐसे में अपीलार्थी आगामी योग्यात्मक परीक्षा में शामिल होने का अधिकार रखता है।

8. परिणामस्वरूप उपरोक्त समस्त अपीलें स्वीकार की जाती हैं। प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण की आगामी पदोन्नति हेतु उनके अनुभव की गणना पूर्व की पदोन्नति के रिक्ति वर्ष की एक अप्रैल से करें और यह भी आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थीगण को इस अधिकरण के अन्तरिम आदेश से योग्यात्मक परीक्षा में शामिल किया गया है तो अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में शीलबन्द लिफाफों को खोल कर विधि अनुसार पदोन्नति का पात्र पाये जाने पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।
9. आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 441/2017 में एवं आदेश की प्रतिलिपि उपरोक्त तालिका में अंकित अन्य समस्त अपीलों में संलग्न की जावें। इस आदेश की एक प्रति पालना हेतु प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)